(158)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 104–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–12–13 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण कमांक 5(1)2013–14/3409.

———

मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज
लिमिटेड खोड़ी ग्राम, बड़वाह,
जिला खरगौन म0प्र0 ——— अपीलांट

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर म0प्र0
2– जिला आबकारी अधिकारी, सिवनी म0प्र0
3– जिला आबकारी अधिकारी, खरगौन म0प्र0
4– जिला आबकारी अधिकारी, एसोसियेटेड
अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लि. बड़वाह,
जिला खरगौन म0प्र0 ——— रिस्पोंडेंट्स

———

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी ।
रिस्पोंडेंट्स शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19-9-2016 को पारित)

———

यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)2013–14/3409 में पारित आदेश दिनांक 3–12–13 के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) सी के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कंपनी को अनूपपुर क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति आबकारी आयुक्त के पत्र दिनांक 15–2–11 द्वारा दी गई थी । जिला आबकारी अधिकारी, सिवनी ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि मद्यभाण्डागार सिवनी में अप्रेल 11 से अगस्त 11 में

बोतलबंद देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे हैं । उक्त अनियमितता के कारण अपीलांट को दिनांक 5–11–11 को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया जिसका उत्तर अपीलांट इकाई द्वारा 17–12–12 को प्रस्तुत किया गया । विचारोपरांत आबकारी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलांट कंपनी को म0प्र0 देषी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के उल्लंघन का दोषी एवं नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय मानते हुए 15,000/– रूपये की शास्ति आरोपित की साथ ही उन्होंने 65 दिवस मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने से 500/– रूपये प्रतिदिन के मान से 28,500/– रूपये तथा आलोच्य अवधि में 56 दिवस बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से रूपये 14,000/– रूपये इस प्रकार कुल 57,500/– की शास्ति आरोपित की । आबकारी आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है ।

4– प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें अपीलार्थी पर आरोपित शास्ति को उचित बताते हुए अपील निराधार होने से निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मद्यभाण्डागार में बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जिस कारण चालान लंबित रहे हैं जिनका उल्लेख विद्वान आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों तथा म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4 (4) जिसमें न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है, का उल्लंघन किया गया है । जहां 4(4) का उल्लंघन हो वहां नियम 12 (1) के तहत शास्ति आरोपित करनेका प्रावधान है । अतः विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर शास्ति आरोपित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक अवैधानिकता नहीं की गई है । जहां तक अपीलार्थी की ओर से अपील मेमो में दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि न्यूनतम संग्रह न रखने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए उस पर शास्ति आरोपित नहीं की

जा सकती है । इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी द्वारा किया जाता है तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक न होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–12–13 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर